



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-577

दिनांक: 24/3/22

## आम सूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत योजना का शिविर लगाया जाना प्रस्तावित है। अतः जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित आरजी खसरा नम्बर 132 ग्राम लावास उर्फ मीनावाला में स्थित भैरव गृ.नि.स.स.लि. कि योजना-रामनाथ गार्डन के भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग गज)
1	हनुमान सहाय बागड़ा पुत्र स्व. श्री रामनाथ बागड़ा	1	690
2	प्रेमनारायण बागड़ा पुत्र श्री हनुमान सहाय बागड़ा	2	391
3	सुनीता शर्मा पत्नी श्री रामकिशोर बागड़ा	3	391
4	संतोष शर्मा पत्नी श्री कन्हैयालाल बागड़ा	4	391
5	सुमन शर्मा पत्नी श्री प्रेमनारायण बागड़ा	5	195
6	सुनीता शर्मा पत्नी श्री रामकिशोर बागड़ा	6	195
7	हनुमान सहाय बागड़ा पुत्र स्व. श्री रामनाथ बागड़ा	7	195
8	संतोष शर्मा पत्नी श्री कन्हैयालाल बागड़ा	8	195
9	मोहिनी बागड़ा पत्नी श्री हनुमान सहाय बागड़ा	9	195
10	मोहिनी बागड़ा पत्नी श्री हनुमान सहाय बागड़ा	10	450
11	भगवती देवी पत्नी श्री प्रभुनारायण बागड़ा	11	430
12	दिनेश कुमार बागड़ा पुत्र श्री प्रभुनारायण बागड़ा	12	185
13	दिनेश कुमार बागड़ा पुत्र श्री प्रभुनारायण बागड़ा	13	185
14	इन्द्रा शर्मा पत्नी श्री दिनेश कुमार बागड़ा	14	185
15	महेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रभुनारायण बागड़ा	15	185
16	दिनेश कुमार बागड़ा पुत्र श्री प्रभुनारायण बागड़ा	16	185
17	ललिता शर्मा पत्नी श्री महेन्द्र कुमार	17	370
18	इन्द्रा शर्मा पत्नी श्री दिनेश कुमार बागड़ा	18	370
19	राकेश कुमार पुत्र श्री प्रभुनारायण बागड़ा	19	370
20	प्रभुनारायण बागड़ा पुत्र स्व. श्री रामनाथ बागड़ा	20	773

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

(६)

उपायुक्त जोन -7  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचीत करवाने का श्रम करावें।
- संयोजक, श्री प्रेम नारायण बागड़ा, भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि., ग्राम मीनावाला, जयपुर।

उपायुक्त जोन -7  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004  
दूरभाष (0141-2560165) : ईपीबीएक्स-0141-2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141-257455  
email : dczone07jaipurjda@gmail.com



क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-562

दिनांक 23/3/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विकास समिति नेमी नगर विस्तार- दक्षिण भाग, वैशाली नगर, जयपुर के आवेदन अनुसार नेमी नगर विस्तार योजना के अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये सुविधा क्षेत्र को जनहित में लैण्ड/एण्ड यूज पार्क में परिवर्तित किया जा रहा है।

अतः उक्त कार्यवाही के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी-एसएफ- 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को विज्ञप्ति प्रकाशन कराने हेतु प्रेषित है।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को जेडीए वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-5/2022/डी-811

दिनांक 23-3-22

## यू0ओ0 नोट

**विषय:**— नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.22 एवं सचिव, जविप्रा के यू0ओ0 नोट डी-27 दिनांक 22.03.22 के के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार-पत्र में प्रकाशन कराने हेतु।

जयपुर विकास प्राधिकरण जोन-5 में प्राप्त फ्री होल्ड लीज डीड एवं नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों में नियमानुसार सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.22 के द्वारा जविप्रा के द्वारा स्वयं के व्यय पर कराये जाने के निर्देश जारी किये गये है। जविप्रा के यू0ओ0नोट डी-27 दिनांक 22.03.22 के द्वारा इस प्रकार की समस्त सार्वजनिक सूचना जन सम्पर्क शाखा द्वारा प्रकाशित करायी जानी है। अतः संलग्न प्रपत्र में अंकित प्रकरणों की सूचना का प्रकाशन करा इस कार्यालय को प्रतिलिपि प्रेषित कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-5  
जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू0ओ0 नोट क्रमांक:—जविप्रा/उपायुक्त/जोन-5/22/डी-811

दिनांक:—23-3-22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8310}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल :



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-5/2022/डी-911

दिनांक 23-3-22

## सार्वजनिक सूचना

निम्न आवेदक द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीज डीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीज डीड जारी कर दी जावेगी। समय सीमा पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। सूचित रहें।

क्र. स.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	एम-104	महेश कॉलोनी	श्री मानवेन्द्र काबरा पुत्र श्री मोहनलाल काबरा	श्री मोहनलाल काबरा पुत्र श्री कालूराम काबरा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हकत्याग पत्र के आधार पर
2	ए-284	महेश नगर	श्रीमती मीता शर्मा पत्नी श्री राम किशोर शर्मा	श्री सूरज नारायण शर्मा पुत्र	वसीयत एवं उपहार पत्र के आधार पर
3	672	शांति नगर (लंकापुरी गृ.नि. स.)	श्रीमती रेणु शर्मा पत्नी स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा	श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री कालू राम	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा शपथ पत्र के आधार पर
4.	171	विश्वकर्मा नगर-1	श्री भगवती प्रसाद सोनी पुत्र श्री मूल चन्द सोनी	श्रीमती मोहिनी देवी पत्नी श्री भगवती प्रसाद सोनी	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हकत्याग पत्र के आधार पर
5.	184 ए	स्कीम नं. 8, स्वामी विहार	श्रीमती अनुपमा तातेड़ पत्नी श्री ऋषभ तातेड़	श्रीमती सरिता अग्रवाल पत्नी श्री नरेश अग्रवाल	समिति का मूल आवंटन पत्र खोने एवं समिति द्वारा डुप्लीकेट आवंटन पत्र जारी करने के आधार पर।
6.	570	देवी नगर	श्री सुयश अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	श्रीमती मथुरा देवी पत्नी श्री गब्बर सिंह	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
7	766	देवी नगर	श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरुदयाल सिंह	श्रीमती बलदेव कौर पत्नी श्री गुरुदयाल सिंह	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हकत्याग पत्र के आधार पर
8	71	भागीरथ नगर	श्री संतोष कुमार गोयल पुत्र स्व० सुरेश कुमार गोयल	श्रीमती लक्ष्मी रानी पत्नी श्री सुरेश चन्द	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हकत्याग पत्र के आधार पर

उपायुक्त जोन-5  
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8310}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल :



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-6/22/डी- 805

दिनांक: 23/03/2022

## सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री जीवणराम द्वारा आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर विजयपुरा गृ.नि.स.स.लि. की आवासीय योजना लक्ष्मी नगर-05 के भूखण्ड संख्या 27 क्षेत्रफल 138.22 वर्गगज के नियमन/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड का आवंटन श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री जीवणराम के पक्ष में जारी किया गया था।

इस बाबत किसी भी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो, तो सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में अपने स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज सहित आपत्ति उपायुक्त जोन-06, जेडीए, जयपुर के कार्यालय में पेश कर सकते हैं। नियत अवधि तक कोई आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

  
उपायुक्त जोन-6  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को सूचित किया जाता है कि फ्री होल्ड नियमन/पट्टा हेतु उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाकर समाचार पत्र की मूल प्रति जोन कार्यालय में प्रस्तुत करे। (विज्ञप्ति का प्रकाशन 8 Font Size में होना चाहिए) निर्धारित फोन्ट साईज से कम साईज की विज्ञप्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

उपायुक्त जोन-6  
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{+91-141-2570256.} : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:{7118}

ई-मेल : {rajasthan.gov.in}



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-2179

दिनांक 22-03-2022

## सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग. में)	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम
1	C-109	300	श्री योगेश अग्रवाल पुत्र श्री सोहनलाल अग्रवाल, निवासी-मकान नम्बर-1344, चीथवाडी का बाग, गंगापोल, जयपुर, राजस्थान	श्री गणपति गृ. नि.स.स.लि.	गणेश विहार विस्तार
2.	10	142.22	श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री मन्नालाल शर्मा, निवासी-ग्राम/पोस्ट-बीलवा, तह. सांगानेर, जिला जयपुर, राज0।	बाबा आर.एन. गौड गृ.नि.स. स.लि.	जानकी विहार
3.	4	271.66	श्री छाजूराम शर्मा पुत्र श्री छीतरमल शर्मा, निवासी-ग्राम/पोस्ट-बीलवा, तह. सांगानेर, जिला जयपुर, राज0।	बाबा आर.एन. गौड गृ.नि.स. स.लि.	जानकी विहार

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

-sd-

उपायुक्त जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- परामर्शी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

3/2

उपायुक्त जोन-14  
उपायुक्त जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।  
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान-302004

दूरभाष - Direct Line-0141-2576296(O), EPBX- 0141-2569696 ,Ext: 8380, Fax- 0141-2574555, email : dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

E:\d drive\drive RRS\zone-14\Assistant\Refund office\_order.doc

Page 264



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन-4 / 2022 / डी- 591

दिनांक 23-03-2022

## सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना स्कीम नं. 15ए के भूखण्ड सं. 48ए का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करने हेतु श्री अजीत शर्मा, श्री अशोक शर्मा एवं श्री नवीन कुमार शर्मा पुत्रान स्व. श्री रामअवतार शर्मा द्वारा ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना स्कीम नं. 15ए के भूखण्ड सं. 48ए की लीजडीड दिनांक 26.10.2009 को श्री राम अवतार शर्मा पुत्र श्री ओकार मल शर्मा के नाम से जारी की गई थी, श्री राम अवतार शर्मा पुत्र श्री ओकार मल शर्मा की मृत्यु दिनांक 13.05.2021 को हो जाने के उपरान्त पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 09.03.2022 के आधार पर श्री अजीत शर्मा, श्री अशोक शर्मा एवं श्री नवीन कुमार शर्मा पुत्रान स्व. श्री रामअवतार शर्मा के द्वारा भूखण्ड का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा चाहा गया है।

अतः आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा जारी किये जाने के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 7 दिवस की अवधि में मय दस्तावेज के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा आवेदकगणों के पक्ष में उक्त भूखण्ड का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित कर दी जायेगी।

21/3  
उपायुक्त जोन-4  
उपजिल्हा प्राधिकरण  
जयपुर, जयपुर।

PR/R-63  
23/3/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन-4 / 2022 / डी- 591

दिनांक 23-03-2022

## सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना स्कीम नं. 15ए के भूखण्ड सं. 48ए का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करने हेतु श्री अजीत शर्मा, श्री अशोक शर्मा एवं श्री नवीन कुमार शर्मा पुत्रान स्व. श्री रामअवतार शर्मा द्वारा ऑफलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना स्कीम नं. 15ए के भूखण्ड सं. 48ए की लीजडीड दिनांक 26.10.2009 को श्री राम अवतार शर्मा पुत्र श्री ओकार मल शर्मा के नाम से जारी की गई थी, श्री राम अवतार शर्मा पुत्र श्री ओकार मल शर्मा की मृत्यु दिनांक 13.05.2021 को हो जाने के उपरान्त पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 09.03.2022 के आधार पर श्री अजीत शर्मा, श्री अशोक शर्मा एवं श्री नवीन कुमार शर्मा पुत्रान स्व. श्री रामअवतार शर्मा के द्वारा भूखण्ड का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा चाहा गया है।

अतः आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा जारी किये जाने के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 7 दिवस की अवधि में मय दस्तावेज के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा आवेदकगणों के पक्ष में उक्त भूखण्ड का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित कर दी जायेगी।

— sd —  
उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपी:-

1. जन संपर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. सिस्टम (एनालिस्ट), जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. श्री अजीत शर्मा, श्री अशोक शर्मा एवं श्री नवीन कुमार शर्मा पुत्रान स्व. श्री रामअवतार शर्मा निवासी- 48ए, लक्ष्मी नगर, टोंक रोड़, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/ दैनिक भास्कर पत्र में 08 (आठ) फोन्ट में करवाकर समाचार पत्र की प्रति ऑफलाईन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें (यदि 08 फोन्ट साईज कम साईज में विज्ञप्ति छपवाने की दशा में पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई जावेगी)।

21.7  
उपायुक्त जोन-4  
उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org





जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-562

दिनांक 23/3/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विकास समिति नेमी नगर विस्तार- दक्षिण भाग, वैशाली नगर, जयपुर के आवेदन अनुसार नेमी नगर विस्तार योजना के अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये सुविधा क्षेत्र को जनहित में लैण्ड/एण्ड यूज पार्क में परिवर्तित किया जा रहा है।

अतः उक्त कार्यवाही के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी-एसएफ- 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को विज्ञप्ति प्रकाशन कराने हेतु प्रेषित है।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को जेडीए वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 1081

दिनांक :- 24.3.2022

## विज्ञप्ति

प्रार्थी श्री जगदीश पुत्र गोदू निवासी टीलावाला, जयपुर, श्री नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री उम्मेदमल जैन निवासी 44/203, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर, मैसर्स प्राईम बिल्डहोम प्रा0लि0 कार्यालय पता 19क (4) ज्योति नगर, जयपुर जरिये निदेशक श्री गोविन्द अग्रवाल पुत्र श्री रूपनारायण अग्रवाल निवासी एस-253/54, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर, श्री रामपाल गुर्जर पुत्र श्री लादया गुर्जर निवासी चौमुखा, जमवारामगढ़, जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 35 कुल किता 1 रकबा 1.79 हैक्टे. भूमि मे स्थित निजी खातेदारी की आवासीय योजना "अरिहन्त ग्रीन्स" के आवंटियों को पट्टे जारी करने का निवेदन किया गया है। विकासकर्ता द्वारा योजना का रेरा पंजीकरण करवा लिया गया है - रेरा पंजीयन क्रमांक RAJ/P/2021/1647 दर्ज है। योजना के आवंटियों को सूचित किया जाता है कि योजना की अनुमोदन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और जविप्रा द्वारा पट्टे जारी किये जाने है। आवंटी वांछित दस्तावेजात एवं नियमानुसार आवेदन कर दिनांक 06.04.2022 से पट्टा प्राप्त कर सकते है।

79  
उपायुक्त जोन-9  
उपायुक्त जोन-9  
जविप्रा, जयपुर

### प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र मे प्रकाशित करावें।
2. प्रभारी अधिकारी, नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की योजना "अरिहन्त ग्रीन्स" का दिनांक 06.04.2022 को कैम्प प्रस्तावित किया गया है। अतः नागरिक सेवा केन्द्र मे उक्त योजना से सम्बन्धित पत्रावलियों को प्राप्त कर उसी दिन जोन मे प्रेषित करने की व्यवस्था कराने का श्रम करावें ताकि कैम्प दिवस को आवंटियों को लीजडीड जारी की कार्यवाही की जा सकें।
3. श्री जगदीश पुत्र गोदू निवासी टीलावाला, जयपुर, श्री नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री उम्मेदमल जैन निवासी 44/203, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर, मैसर्स प्राईम बिल्डहोम प्रा0लि0 कार्यालय पता 19क (4) ज्योति नगर, जयपुर जरिये निदेशक श्री गोविन्द अग्रवाल पुत्र श्री रूपनारायण अग्रवाल निवासी एस-253/54, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर, श्री रामपाल गुर्जर पुत्र श्री लादया गुर्जर निवासी चौमुखा, जमवारामगढ़, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

SA  
उपायुक्त जोन-9  
जविप्रा, जयपुर।